बाल सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम

समुदाय की जागरूकता हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 पर प्रशिक्षण मॉड्यूल

POCSO

बाल सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम

समुदाय की जागरूकता हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल

लैंगिंक अपराध से बालकों का संरक्षण कानून, 2012

बाल सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम
समुदाय की जागृति हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल
लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण कानून, 2012

- *संरक्षक*
  गुरजोत कौर
  अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण) एवं महानिदेशक
  हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
  जयपुर

- *मार्गदर्शन*
  राजेश यादव
  सिनियर फैलो
  बाल संदर्भ केन्द्र
  एचसीएम रीपा, जयपुर

- *परामर्श*
  संजय कुमार निराला
  युनिसेफ, जयपुर

  गोविन्द बेनीवाल
  अन्ताक्षरी फाउण्डेशन, जयपुर

- *संयोजन*
  लविना राठौड़

- *संपादन*
  सत्यदेव बारहठ

- *लेखकगण*
  कविता मंगनानी
  शाहीना परवीन
  दीपल सोलंकी
  प्रीती अग्रवाल
  सत्यदेव बारहठ

- *प्रायोजक*
  युनिसेफ, जयपुर

- *आयोजन एवं प्रकाशन*
  बाल संदर्भ केन्द्र
  एचसीएम रीपा, जयपुर

- *संस्करण*
  2017

गुरजोत कौर
आई.ए.एस.
अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण)
महानिदेशक
ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

सत्यमेव जयते

जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
जयपुर–302 017
फोन : +91-141-2706556
फैक्स : +91-141-2705420
: +91-141-2702932

प्रस्तावना

यह हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि बाल सन्दर्भ केंद्र द्वारा समुदाय स्तर पर बच्चों के संरक्षण एवं जन समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्मित प्रशिक्षण मॉड्यूल *"बाल सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम : लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण कानून, 2012"* जारी किया जा रहा है।

बच्चों का संरक्षण हर स्तर पर अत्यंत आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों से बच्चों की सुरक्षा एवं उनके विकास पर निरंतर चर्चा जारी है। देश में बच्चों के हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं तथा उन्हें मुस्तैदी से लागू करने का प्रयास भी निरंतर जारी है।

किसी भी कानून की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समुदाय के व्यक्ति उसके प्रभावी क्रियान्वयन में कितनी रुचि लेते हैं और कितनी सक्रियता दिखाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि समुदाय स्तर पर कानून की जानकारी और उसके विभिन्न पहलुओं पर समुदाय को जागरूक किया जा सके जिससे वे अपराध की रोकथाम एवं अपराध हो जाने पर अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकें।

प्रस्तुत प्रशिक्षण मॉड्यूल विशेषज्ञ समूह द्वारा तैयार किया गया है। हम उन सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं। मॉड्यूल में उपयोग की गई भाषा सरल एवं सुबोध है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह प्रशिक्षण मॉड्यूल समुदाय को बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के प्रति जागरूक करने एवं कानूनी पहलुओं को समझ कर अपनी भूमिका प्रभावी बनाने में उपयोगी साबित होगा।

शुभकामनाओं के साथ।

गुरजोत कौर

अनुक्रमाणिका

सत्र	*विषय*	*पृष्ठ संख्या*
	समय सारणी	9
1	पंजीकरण	10
2	स्वागत, परिचय, अपेक्षाएं व प्रशिक्षण के उद्देश्य	11
3	बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध की पृष्ठभूमि	13
4	लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण कानून, 2012	17
5	लैंगिक अपराध की परिस्थितियां, अपराधी, अपराध के संकेतक एवं प्रभाव	22
6	लैंगिक अपराध की रोकथाम, सुरक्षा तंत्र एवं समुदाय की भूमिका	26

सत्र	उद्देश्य	समय	विधा	सामग्री	संभावित अपेक्षाएं
1. पंजीकरण	● प्रतिभागियों की संख्या का सही अनुमान लगाना। ● पंजीकरण में आए मुद्दों को हल करना।	15 मिनट	पंजीकरण प्रपत्र भरवाना।	पंजीकरण प्रपत्र, पैन, फाइल, बैग/प्रशिक्षण किट/पठन सामग्री	● प्रतिभागियों की संख्या का सही अनुमान हो सकेगा। ● पंजीकरण में आए मुद्दों को हल कर सकेंगे।
2. स्वागत, परिचय, अपेक्षाएं व प्रशिक्षण के उद्देश्य	● स्वागत द्वारा उत्साहवर्धन करना। ● एक दूसरे से परिचित होना तथा प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना। ● प्रशिक्षण के बारे में प्रतिभागियों की अपेक्षाओं का पता लगाना। ● प्रशिक्षण के उद्देश्य, आवश्यकता व महत्व को जानना व एक दूसरे की पूरक भूमिका को समझना।	30 मिनट	परिचय, चर्चा, प्रस्तुतीकरण	प्रोजेक्टर, कार्डशीट, स्कैच पैन, फ्लिप चार्ट, मार्कर, प्रतिभागियों की संख्यानुसार कागज की पर्चियां, डिब्बा	● स्वागत द्वारा प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन हो सकेगा। ● सभी प्रतिभागियों का आपस में परिचय हो सकेगा जिससे प्रशिक्षण का उपयुक्त वातावरण बन सकेगा। ● प्रतिभागियों की प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित अपेक्षाओं के बारे में जान सकेंगे । ● प्रतिभागी प्रशिक्षण के उद्देश्य, आवश्यकता व महत्व को जान सकेंगे तथा एक दूसरे की पूरक भूमिका को जान सकेंगे।
3. बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों की पृष्ठभूमि	● बच्चा कौन है? इसके बारे में सही समझ विकसित करना। ● दुर्व्यवहार के अर्थ एवं विभिन्न प्रकारों को समझना।	30 मिनट	प्रश्नोत्तरी, चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण	प्रोजेक्टर, फ्लिप चार्ट, पेन, मार्कर	● बच्चा कौन है? इसके बारे में सही समझ विकसित हो सकेगी। ● दुर्व्यवहार के अर्थ एवं विभिन्न प्रकारों को समझ सकेंगे।

सत्र	उद्देश्य	समय	विधा	सामग्री	संभावित अपेक्षाएं
	● प्रतिभागियों को बच्चों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराना। ● बच्चों के संदर्भ में अलग कानून की आवश्यकता के बारे में समझ विकसित करना।				● प्रतिभागी बच्चों की वर्तमान स्थिति से अवगत हो सकेंगे। ● बच्चो के संदर्भ में अलग कानून की आवश्यकता के बारे में समझ विकसित हो सकेगी।
4. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण कानून, 2012	● बच्चों के संदर्भ में लैंगिक अपराध से संबंधित भ्रांतियों को दूर करना एवं सही जानकारी प्रदान करना। ● लैंगिक अपराधों के प्रकारों की जानकारी देना। ● POCSO कानून, 2012 के मुख्य प्रावधान बताना।	1 घंटा 15 मिनट	प्रस्तुतीकरण एवं खुली चर्चा	मिथक/भ्रांतियां एवं तथ्य प्रपत्र, प्रोजेक्टर	● बच्चों के संदर्भ में लैंगिक अपराध से संबंधित भ्रांतियां दूर हो सकेंगी एवं सही जानकारी मिल सकेगी। ● लैंगिक अपराध के प्रकारों की जानकारी मिल सकेगी। ● POCSO कानून 2012 के मुख्य प्रावधान जान सकेंगे।
5. लैंगिक अपराध की परिस्थितियां, अपराधी, अपराध के संकेतक एवं प्रभाव	● लैंगिक अपराध की परिस्थितियां एवं किन–किन व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है उसके बारे में समझ विकसित करना। ● बच्चों के साथ हुए लैंगिक अपराध के संकेतकों एवं प्रभावों की समझ बनाना।	1 घंटा	प्रस्तुतीकरण एवं खुली चर्चा	प्रोजेक्टर, मार्कर, फ्लिप चार्ट	● लैंगिक अपराध की परिस्थितियों एवं किन–किन व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है उसके बारे में समझ विकसित हो सकेगी। ● बच्चों के साथ हुए लैंगिक अपराध के संकेतकों एवं प्रभावों की समझ बन सकेगी।

सत्र	उद्देश्य	समय	विधा	सामग्री	संभावित अपेक्षाएं
6. लैंगिक अपराध की रोकथाम, सुरक्षा तंत्र एवं समुदाय की भूमिका	● लैंगिक अपराध की रोकथाम के उपायों की पहचान करना। ● बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्यरत मुख्य–तंत्र के सन्दर्भ में जानकारी प्रदान करना। ● स्वयं और समुदाय की भूमिका सुनिश्चित करना।	1 घंटा	फिल्म प्रदर्शन, प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा	प्रोजेक्टर, मार्कर, फ्लिप चार्ट	● लैंगिक अपराध की रोकथाम के उपायों की पहचान हो सकेगी। ● बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्यरत मुख्य–तंत्र के सन्दर्भ में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। ● स्वयं और समुदाय की भूमिका सुनिश्चित कर सकेंगे।

समय सारणी

सत्र	समय	विषय
1	10:30 से 10:45 बजे तक	पंजीकरण
2	10:45 से 11:15 बजे तक	स्वागत, परिचय, अपेक्षाएं व प्रशिक्षण के उद्देश्य
	11:15 से 11:30 बजे तक	**चाय अवकाश**
3	11:30 से 12:00 बजे तक	बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध की पृष्ठभूमि
4	12:00 से 1:15 बजे तक	लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण कानून, 2012
	1:15 से 2:00 बजे तक	**भोजन अवकाश**
5	2:00 से 3:00 बजे तक	लैंगिक अपराध की परिस्थितियां, अपराधी, अपराध के संकेतक एवं प्रभाव
6	3:00 से 4:00 बजे तक	लैंगिक अपराध की रोकथाम, सुरक्षा तंत्र एवं समुदाय की भूमिका
	4:00 से 4:30 बजे तक	**समापन सत्र**

सत्र 1

पंजीकरण

15 मिनट

- *उद्देश्य*

  - प्रतिभागियों की संख्या का सही अनुमान लगाना।
  - पंजीकरण में आए मुद्दों को हल करना।

- *विधा :* पंजीकरण प्रपत्र भरवाना।

- *सामग्री :* पंजीकरण प्रपत्र, पैन, फाइल, बैग/प्रशिक्षण किट/पठन सामग्री

गतिविधि – 1 पंजीकरण प्रपत्र भरवाना

चरण – 1

पंजीकरण डेस्क पर प्रशिक्षण में आए प्रतिभागियों का पंजीकरण कराने हेतु किट, पठन सामग्री तैयार रखें।

चरण – 2

आने वाले सभी प्रतिभागियों का पंजीकरण करें व उन्हें प्रशिक्षण किट/पठन सामग्री उपलब्ध कराएं।

- *संभावित अपेक्षाएं*

  - प्रतिभागियों की संख्या का सही अनुमान हो सकेगा।
  - पंजीकरण में आए मुद्दों को हल कर सकेंगे।

नोट : पंजीकरण प्रपत्र जो प्रति संलग्न किये गये है।

उप. नाम पदनाम – विषय का नाम – मोबाइल

सत्र 2

स्वागत, परिचय, अपेक्षाएं व प्रशिक्षण के उद्देश्य

30 मिनट

- *उद्देश्य*
  - स्वागत द्वारा उत्साहवर्धन करना।
  - एक दूसरे से परिचित होना तथा प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना।
  - प्रशिक्षण के बारे में प्रतिभागियों की अपेक्षाओं का पता लगाना।
  - प्रशिक्षण के उद्देश्य, आवश्यकता व महत्व को जानना व एक दूसरे की पूरक भूमिका को समझना।
- *विधा :* परिचय, चर्चा, प्रस्तुतीकरण
- *सामग्री :*प्रोजेक्टर, कार्डशीट, स्कैच पैन, फ्लिप चार्ट, मार्कर, प्रतिभागियों की संख्यानुसार कागज की पर्चियां, डिब्बा।
- *परिचय*

इस सत्र में सभी प्रतिभागी एक दूसरे का व्यक्तिगत परिचय प्राप्त कर सकेंगे। इससे उनकी झिझक खुलेगी व प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण हो सकेगा। प्रतिभागी सहजता व सहभागिता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही प्रतिभागियों की प्रशिक्षण से संबंधित अपेक्षाऐं। प्रशिक्षण के उद्देश्य व प्रतिभागियों की अपनी भूमिका के बारे में समझ बन सकेगी।

गतिविधि–1 परिचय

चरण–1

परिचय हेतु प्रत्येक प्रतिभागी को एक पर्ची पर अपना नाम, पद, कार्य एवं संक्षिप्त परिचय लिखने को कहें।

चरण–2

परिचय लिखी सभी पर्चियों को एक डिब्बे में एकत्रित करें। तत्पश्चात् प्रत्येक प्रतिभागी को डिब्बे में से कोई भी एक पर्ची निकालने को कहें। बारी–बारी से पर्ची निकालने वाला प्रतिभागी उसके पास आयी पर्ची पर लिखे नाम वाले प्रतिभागी का नाम पुकारेगा। तब उस प्रतिभागी को खड़ा होना होगा। पर्ची निकालने वाला व्यक्ति खड़ा होने वाले संबंधित प्रतिभागी का परिचय पढ़ कर सुनायेगा। इस प्रकार समस्त प्रतिभागियों का आपस में परिचय कराएं।

गतिविधि–2 चर्चा

चरण–1

सहजकर्ता प्रतिभागियों से चर्चा व बातचीत द्वारा उनकी अपेक्षाएं जानने का प्रयास करेगा एवं प्रतिभागियों द्वारा बताई गई अपेक्षाओं को फ्लिप चार्ट पर लिखता जायेगा। तत्पश्चात् प्राप्त अपेक्षाओं को समेकित करके सहजकर्ता प्रतिभागियों से साझा करेगा।

चरण–2

प्रतिभागियों से प्राप्त अपेक्षाओं के अनुसार सहजकर्ता आवश्यकतानुसार अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगा।

गतिविधि–3 प्रस्तुतीकरण

चरण–1

एलसीडी प्रोजेक्टर की सहायता से परिशिष्ट 1.2 की सहायता से प्रशिक्षण के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व की जानकारी प्रतिभागियों को दें तथा प्रतिभागियों द्वारा बताई गई अपेक्षाओं से उद्देश्यों को जोड़कर बताएं।

➢ *संभावित अपेक्षाएं*

- स्वागत द्वारा प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन हो सकेगा।
- सभी प्रतिभागियों का आपस में परिचय हो सकेगा जिससे प्रशिक्षण का उपयुक्त वातावरण बन सकेगा।
- प्रतिभागियों की प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित अपेक्षाओं के बारे में जान सकेंगे।
- प्रतिभागी प्रशिक्षण के उद्देश्य, आवश्यकता व महत्व को जान सकेंगे तथा एक दूसरे की पूरक भूमिका को जान सकेंगे।

परिशिष्ट – 2.1 प्रशिक्षण के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व

बच्चे देश की धरोहर हैं। पिछले कुछ वर्षों से बच्चों की परवरिश और उनकी हिफाजत को लेकर सब और नई चेतना का संचार हुआ है। मानवाधिकारों के सन्दर्भ में भी बच्चों के अधिकारों पर विशेष बल दिया जा रहा है। बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों के सन्दर्भ में सामाजिक जागरूकता की विशेष आवश्यकता महसूस की जाती रही है। बच्चों के साथ निरंतर बढ़ती लैंगिक अपराध की घटनाओं ने पूरे समाज का ध्यान आकर्षित किया है। इन संगीन लैंगिक अपराधकी घटनाओं के प्रति जानाक्रोश भी बढ़ा है और संचार माध्यमों से मिलती जानकारियों ने जनमानस को उद्वेलित किया है। इसी सन्दर्भ में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 विशेष उलेखनीय है। इस क़ानून के आने से पहले भी किशोर न्याय अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की धाराएं मौजूद थीं परन्तु, बच्चों के साथ हो रहे लैंगिक अपराधों की रोकथाम के लिए समग्र दृष्टि से बना कोई क़ानून नहीं था, जिसके द्वारा बच्चों की वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में कोई कारागार कदम उठाए जा सकें। इसके अतिरिक्त अपराध की गंभीरता और उसके प्रकारों पर भी विशेष ध्यान देने वाले तथा कठोर सजा के प्रावधानों की जरूरत को भी यह क़ानून पूरा करता है।

पोक्सो क़ानून ने बच्चों के सन्दर्भ में पूरे देश में एक नई चर्चा और विचार विमर्श की जरूरत को रेखांकित किया है। इसके मद्देनजर यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इस कानून के प्रावधानों को बाल संरक्षण के सन्दर्भ में समझाने तथा समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समूहों के प्रशिक्षण/आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किये जायें।

इस सन्दर्भ में समुदाय के एक दिवसीय आमुखीकरण/प्रशिक्षण हेतु यह मॉड्यूल बनाया गया है। समुदाय में जिन समूहों को सम्मिलित किया गया है, वे हैं : स्कूल एवं कॉलेजों के प्रधानाध्यापक, अध्यापक, रोटरी क्लब, व लायंस क्लब के सदस्य, महिलाओं और पुरुषों के सामाजिक संगठन, गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यकर्ता, अभिभावक, इत्यादि।

इस मॉड्यूल के द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण का उद्देश्य बाल संरक्षण, विशेष रूप से पोक्सो कानून तथा बच्चों के प्रति लैंगिक अपराध के बारे में विभिन्न सामुदायिक समूहों को जागरूक करना है, जिससे कि वे रोकथाम व निरोधक उपायों में अपनी भूमिका तलाश कर सकें। इस प्रकार की सामाजिक जागरूकता एक तरफ बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध की घटनाओं में कमी लाएगी वहीं दूसरी ओर अपराध हो जाने पर समुदाय के स्तर पर तुरंत कार्रवाई की पहल करके न केवल न्याय के मार्ग को सशक्त किया जा सकेगा वरन् पीड़ित को भी सार्थक मदद मिल सकेगी। सामाजिक जागरूकता और संभावित तकनीकी ज्ञान के प्रसार से पोक्सो कानून की प्रभावी पालना भी सुनिश्चित हो सकेगी।

सत्र 3

बच्चों के विरुद्ध लैंगिंक अपराध की पृष्ठभूमि

30 मिनट

- *उद्देश्य*
  - बच्चा कौन है? इसके बारे में सही समझ विकसित करना।
  - दुर्व्यवहार के अर्थ एवं विभिन्न प्रकारों को समझना।
  - प्रतिभागियों को बच्चों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराना।
  - बच्चों के संदर्भ में अलग कानून की आवश्यकता के बारे में समझ विकसित करना।
- *विधा :* प्रश्नोत्तरी, चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण।
- *सामग्री :*प्रोजेक्टर, फ्लिप चार्ट, पेन, मार्कर।
- *परिचय*

इस प्रशिक्षण को पूर्ण रूप से सार्थक बनाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी प्रतिभागियों में बच्चे की परिभाषा को लेकर एक समझ विकसित हो एवं भारत व राजस्थान में बच्चों की वर्तमान स्थिति एवं बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के प्रति संवेदनशीलता विकसित हो सके। ऐसा करने पर सभी प्रतिभागियों में बच्चे एवं बाल अधिकारों के संरक्षण के प्रति साझी समझ बनेगी।

गतिविधि–1 प्रश्नोत्तरी

चरण–1

प्रतिभागियों से पूछें कि उनके अनुसार बच्चा कौन है? प्रतिभागियों द्वारा बताए गए सभी उत्तरों को फ्लिप चार्ट या बोर्ड पर लिखें।

चरण–2

प्रतिभागियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछें–

1. यदि 13 वर्षीय व्यक्ति यौन सम्बन्ध स्थापित करता है तो क्या वह बच्चा कहलायेगा?
2. 15 वर्षीय व्यक्ति जिसने विद्यालय छोड़ दिया है और काम कर रहा/रही है, क्या वह अभी भी बच्चा कहलाएगा?
3. 18 वर्ष से कम आयु का एक व्यक्ति जिसने गंभीर अपराध किया है क्या वह बच्चा कहलायेगा ?
4. अगर 16 वर्ष की लड़की का विवाह हो जाता है तो क्या वह तब भी बच्ची कहलाएगी ?
5. एक 15 वर्ष की लड़की बच्चे को जन्म देती है तो क्या वह तब भी बच्ची कहलाएगी ?
6. 16 वर्ष का एक व्यक्ति किसी आतंकवादी या उग्रवादी संगठन में शामिल हो जाता है तो क्या वह तब भी बच्चा है?

चरण–3

प्रतिभागियों द्वारा बताए गए जवाबों पर चर्चा करते हुए परिशिष्ट 3.1 के आधार पर गतिविधि का समेकन करें।

दोहराएं: POCSO कानून में 0 से 18 वर्ष तक की उम्र के सभी लड़के–लड़की बच्चे की श्रेणी में आते हैं।

गतिविधि– 2 चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण

चरण–1

प्रतिभागियों से पूछें –

- आपके अनुसार दुर्व्यवहार क्या है ?
- क्या दुर्व्यवहार के अलग–अलग प्रकार होते है ? यदि हां तो क्या–क्या ?

चरण–2

परिशिष्ट–3.2 में दी गई जानकारी के आधार पर प्रतिभागियों को दुर्व्यवहार की परिभाषा व प्रकार तथा बच्चों की वर्तमान स्थिति के बारे में प्रस्तुतीकरण के द्वारा बताएं।

गतिविधि–3 प्रस्तुतीकरण

चरण–1

परिशिष्ट–3.3 के आधार पर बच्चों के लिए अलग कानून की आवश्यकता संबंधित प्रस्तुतीकरण दें।

- *संभावित अपेक्षाएं*
  - बच्चा कौन है? इसके बारे में सही समझ विकसित हो सकेगी।
  - दुर्व्यवहार के अर्थ एवं विभिन्न प्रकारों को समझ सकेगें।
  - प्रतिभागी बच्चों की वर्तमान स्थिति से अवगत हो सकेंगे।
  - बच्चों के संदर्भ में अलग कानून की आवश्यकता के बारे में समझ विकसित हो सकेगी।

परिशिष्ट– 3.1

बच्चा कौन है ? परिभाषा

- जिस किसी भी व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वह बच्चा है। बच्चे से यहां तात्पर्य बालक एवं बालिका दोनों से है।
- संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन (UNCRC) के अनुसार बच्चा उस व्यक्ति को माना गया है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है या 18 वर्ष से कम आयु का है।
- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण कानून (POCSO) 2012'' के अंतर्गत् बच्चा उसे माना गया है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है।

परिशिष्ट– 3.2

बच्चों के विरुद्ध दुर्व्यवहार की परिभाषा, प्रकार एवं देश व प्रदेश में बच्चों की स्थिति

बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध, जैसे, दुर्व्यवहार, शोषण एवं हिंसा को समझना अत्यंत आवश्यक है। कई बार हमारे आस–पास ही बच्चों के साथ ऐसी अमानवीय घटनाएं घटित होती हैं, जिनसे बच्चे के शरीर, मन एवं भविष्य पर बुरा असर पड़ता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन **(WHO)** *द्वारा दी गई परिभाषाएं*

*शोषण (***Exploitation***)* लाभ, श्रम, यौन संतुष्टि या कुछ अन्य व्यक्तिगत या वित्तीय लाभ के लिए बच्चे का उपयोग करने का कार्य दुर्व्यवहार कहलाता है।

*हिंसा (***Violence***)* मानसिक और शारीरिक हिंसा, चोट और दुरुपयोग, उपेक्षा, उपचार में लापरवाही, दुराचार या दुर्व्यवहार (लैंगक अपराध सहित) ये सभी हिंसा के रूप हैं।

*दुर्व्यवहार (***Abuse***)* बच्चे के साथ दुर्व्यवहार के कई रूप हैं, जैसे, शारीरिक, भावनात्मक, उपेक्षा, और लैंगिक अपराध। किसी भी प्रकार का संभावित या वास्तविक दुर्व्यवहार बच्चे के स्वास्थ्य, अस्तित्व, गरिमा और विकास के लिए हानिकारक हैं।

दुर्व्यवहार के प्रकार – बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को 4 भागों में विभाजित किया गया है जो निम्नानुसार है :

1. *शारीरिक दुर्व्यवहार–* मुक्का मारना, लात मारना, जोर से हिलाना, काटना, जलाना एवं बच्चे को उठा के फेंकना शारीरिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आता है। शारीरिक दुर्व्यवहार के परिणामस्वरुप परिवार में अनुशासनहीनता व हिंसा का वातावरण बनता है जो बच्चों के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से घातक होता है। शारीरिक दुर्व्यवहार से बच्चों में, मामूली खरोंच, जलने के निशान, बेल्ट के व काटने के निशान से लेकर गंभीर चोट जैसे हड्डियों का टूटना, सर में गंभीर चोट लगना जिससे बच्चे की मृत्यु होना आदि शामिल हैं।
2. *भावनात्मक दुर्व्यवहार–* जब किसी बच्चे को भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और लम्बे समय से सामाजिक रूप से वंचित रखा जाता है, वह भावनात्मक दुर्व्यवहार कहलाता है। इसमें बच्चे की आलोचना करना, नकारना, भेदभाव करना, नीचा दिखाना, उपेक्षा करना, अकेला छोड़ना, शोषण करना, डराना आदि शामिल हैं।
3. *उपेक्षा–* बच्चे की बुनियादी जरूरतों को पूरा न करने को उपेक्षा माना गया है, जैसे, बच्चे के खाने–पीने में या चिकित्सा संबंधित मामलों में लापरवाही बरतना आदि।
4. *लैंगिक अपराध–* बच्चे के साथ लैंगिक अपराध वह है जिसमें वयस्क व्यक्ति बच्चे के साथ अथवा कोई बच्चा किसी अन्य बच्चे के साथ गलत उद्देश्य से कोई शारीरिक क्रिया करता है। बच्चे को गलत तरीके से छूना, गुप्तांगों को छूना, किसी व्यक्ति द्वारा अपना लिंग बच्चे की योनि, मुंह या मूत्र मार्ग में प्रवेश करना या किसी वस्तु या शरीर का ऐसा भाग जो लिंग नहीं है, बच्चे की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश करना लैंगिक अपराध माना गया है। बच्चे के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना एवं किसी भी वयस्क द्वारा शारीरिक क्रिया के लिए बच्चे के सामने अपने गुप्तांगों को प्रदर्शित करना एवं बच्चे को उन्हें छूने के लिए प्रेरित करना भी लैंगिक अपराध है। इसके अतिरिक्त बच्चे को अश्लील साहित्य दिखाना, बच्चे को अश्लील गतिविधियों के लिए उपयोग में लेना या उससे ऐसे कोई कार्य करवाना, जैसे वैश्यावृत्ति एवं मोबाइल फोन या इंटरनेट के माध्यम से बच्चे के साथ यौन गतिविधि करना भी लैंगिक अपराध कहलाता है।

देश व प्रदेश में बच्चों की स्थिति

राजस्थान राज्य में लगभग 41.0% जनसंख्या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की है, जिनमें से अधिकांश बच्चे विभिन्न प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार या उपेक्षा के शिकार होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार की शारीरिक, यौनिक, मानसिक, भावनात्मक और उपेक्षा के कई मामले सामने आए हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में बाल उत्पीड़न पर कराये गए अध्ययन में निम्न आकड़ें प्रमुखता से उभरे हैं।

- हर तीन बच्चों में से दो बच्चे शारीरिक शोषण का शिकार होते हैं।
- 50% से अधिक बच्चों का शारीरिक या अन्य शोषण होता है।
- 50% में से 88.6% शारीरिक शोषण दुर्व्यवहार माता–पिता द्वारा किया जाता है।
- 65% स्कूल जाने वाले बच्चों में, तीन में से दो बच्चे शारीरिक दंड के शिकार हुए हैं।
- देश के कुल बाल श्रम करने वाले 8% बच्चे, 9.6 लाख राजस्थान में रहते हैं, जो कि देश में तीसरा स्थान है।
- 19.6% बच्चे (5–14 साल के) काम के विभिन्न प्रकार में शामिल रहे हैं।
- राज्य से बड़ी संख्या में बच्चे पलायन करते हैं।
- 53.2% बच्चे लैंगिक अपराध के शिकार हुए हैं।
- 44,476 बच्चे हर साल गायब हो जाते हैं।

परिशिष्ट– 3.3

बच्चों के लिए अलग कानून की आवश्यकता

- बच्चे समाज का कमजोर वर्ग होने के कारण शारीरिक, यौन सम्बन्धी और मनोवैज्ञानिक दुरुपयोग के लिए शीघ्र शिकार हो जाते हैं। पिछले कुछ समय से बच्चों के साथ लैंगिक अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जो घृणित एवं विकृत मानसिकता को दर्शाती है।

- बच्चों के साथ कई प्रकार से लैंगिक अपराध हो रहा है। बच्चों की यौन सुरक्षा के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत अलग से कोई सुरक्षा के प्रावधान नहीं किये गए हैं। भारतीय दंड संहिता, 1860 में केवल बलात्कार को ही गंभीर एवं दंडनीय अपराध माना गया है, इसके अतिरिक्त लैंगिक अपराध के अन्य प्रकारों को स्वीकृत नहीं किया गया है, जैसे, लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक हमला, पीछा करना, अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बच्चे का उपयोग आदि। उक्त अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 में कोई सजा का प्रावधान भी नहीं है। परिणामस्वरूप यह पाया गया कि बच्चों के साथ हो रहे अपराध आमतौर पर रिपोर्ट ही नहीं किये जा रहे हैं।
- उपलब्ध कानूनों की कमियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 14 नवंबर, 2012 से बच्चों के साथ हो रहे यौन अपराधों की रोकथाम एवं उन्हें यौन दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए *लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण कानून, 2012* **(POCSO Act)** *एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण नियम, 2012* **(POCSO Rules)** *लागू किये गये हैं।*
- वर्ष 2013 में POCSO कानून में सरकार ने संशोधन किया है जिसके अनुसार वैकल्पिक दण्ड के प्रावधानों में बदलाव किया गया है तथा इस कानून को विशेष कानून का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के 15 (3) द्वारा राज्यों को बालकों के लिये विशेष कानून निर्माण के लिये निर्देशित किया गया है।

सत्र 4

लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण कानून, 2012

1 घंटा 15 मिनट

- *उद्देश्य*
  - बच्चों के संदर्भ में लैंगिक अपराध से संबंधित भ्रांतियों को दूर करना एवं सही जानकारी प्रदान करना।
  - लैंगिक अपराध के प्रकारों की जानकारी देना।
  - POCSO कानून, 2012 के मुख्य प्रावधान बताना।
- *विधा :* प्रस्तुतीकरण एवं खुली चर्चा
- *सामग्री :*मिथक / भ्रांतियां एवं तथ्य प्रपत्र, प्रोजेक्टर
- *परिचय*

इस सत्र में बच्चों के साथ हो रहे लैंगिक अपराधों के सम्बन्ध में जो भ्रांतियां अथवा मिथक मौजूद हैं उन्हें दूर कर सही जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को *"लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण कानून, 2012"* के मुख्य प्रावधानों के बारे में जानकारी देकर अपराधों एवं सजा के प्रावधानों से अवगत कराने का प्रयास किया जायेगा।

गतिविधि–1 लैंगिक अपराध से जुड़ी भ्रान्तियां एवं तथ्यों का प्रस्तुतीकरण व चर्चा

चरण–1

परिशिष्ट–4.1 के आधार पर प्रस्तुतीकरण की सहायता से एक–एक भ्रांति तथा उसके सामने लिखे तथ्य को बताते चलें एवं प्रतिभागियों के साथ चर्चा करें।

सहजकर्ता ध्यान दें– जहां भी बच्चा शब्द का प्रयोग किया गया है वहां प्रतिभागियों से इस मॉड्यूल में दी गयी बच्चा की परिभाषा पूछें एवं दोहराएं।

गतिविधि– 2 प्रस्तुतीकरण एवं खुली चर्चा

चरण–1

परिशिष्ट 4.2 व 4.3 में दी गई जानकारी के आधार पर प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रतिभागियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण कानून, 2012 की पूरी जानकारी प्रदान करें।

चरण–2

प्रतिभागियों को प्रस्तुतीकरण के दौरान चर्चा हेतु प्रेरित करें व चर्चा में सभी प्रतिभागियों की भागीदारी सुनिश्चित करें।

➢ *संभावित अपेक्षाएं*

- बच्चों के संदर्भ में लैंगिक अपराध से संबंधित भ्रांतियां दूर हो सकेंगी एवं सही जानकारी मिल सकेगी।
- लैंगिक अपराध के प्रकारों की जानकारी मिल सकेगी।
- POCSO कानून 2012 के मुख्य प्रावधान जान सकेंगे।

परिशिष्ट 4.1

लैंगिक अपराधों से जुड़ी भ्रान्तियां/मिथक एवं तथ्य

<table>
<tr><th>भ्रान्तियां/मिथक</th><th>तथ्य</th></tr>
<tr><td>1. बच्चों के साथ ऊंची आवाज में बात करने, उन्हें डराने–धमकानें और मारने–पीटने से वे अनुशासित रहते हैं।</td><td>इस कदम में कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा करने से बच्चों को मानसिक आघात लगता है जिससे वे भी दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करने लग सकते हैं।</td></tr>
<tr><td>2 बच्चों के साथ आमतौर से दुर्व्यवहार नहीं होता।</td><td>यह एक भ्रान्ति है कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता। बच्चों के सन्दर्भ में किये गए शोध के आंकड़ें बताते हैं कि भारत में 50% से भी अधिक बच्चे शारीरिक एवं अन्य लैंगिक अपराध के शिकार होते हैं तथा 53.2% बच्चों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार की घटनाएं भी होती हैं।</td></tr>
<tr><td>3 बच्चे घर में, परिवार के सदस्य व रिश्तेदारों के साथ तथा विश्वासपात्र लोगों के बीच सुरक्षित रहते हैं तथा बच्चे के साथ दुर्व्यवहार केवल अजनबी ही करते हैं।</td><td>ऐसा नहीं है। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार परिवार, रिश्तेदार या विश्वासपात्र लोग भी करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 69.5% दुर्व्यवहार बच्चे को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।
<table>
<tr><th>श्रेणी</th><th>%</th></tr>
<tr><td>पड़ोसी</td><td>35.8</td></tr>
<tr><td>परिवार के सदस्य</td><td>1.6</td></tr>
<tr><td>अन्य करीबी रिश्तेदार</td><td>2.4</td></tr>
<tr><td>अन्य रिश्तेदार</td><td>6.6</td></tr>
<tr><td>बच्चे के पहचान वाले अन्य व्यक्ति</td><td>23.1</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4 लड़कों के साथ लैंगिक अपराध नहीं होता है, केवल लड़कियां ही लैंगिक अपराध का शिकार होती हैं।</td><td>लड़कियों की तरह ही एवं उनसे भी अधिक लड़के लैंगिक अपराध के शिकार होते हैं। आंकड़ों के अनुसार जहां 47.5% लड़कियां लैंगिक अपराध का शिकार होती हैं वहीं 52.5% लड़के भी लैंगिक अपराध का शिकार होते हैं।</td></tr>
<tr><td>5 लैंगिक अपराध करने वाले व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होते हैं।</td><td>दुर्व्यवहारकर्ता कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो।</td></tr>
<tr><td>6 महिलाएं बच्चों के साथ लैंगिक अपराध नहीं कर सकती।</td><td>यह एक भ्रान्ति है। महिलाएं भी बच्चों के साथ लैंगिक अपराध कर सकती हैं।</td></tr>
<tr><td>7 यौन हिंसा संबंधी मामलों में कानून सिर्फ लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करता है।</td><td>यह एक भ्रान्ति है, पोक्सो कानून के अंतर्गत लड़कों एवं लड़कियों को समान अधिकार प्राप्त हैं। यह कानून लड़के और लड़कियों दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है।</td></tr>
<tr><td>8 बच्चे अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की जानकारी तुरंत ही अपने अभिभावकों को देते हैं।</td><td>यह देखा गया है कि अधिकतर समय बच्चे अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार की जानकारी अपने माता–पिता या अन्य विश्वासपात्र लोगों को नहीं बताते। इस कारण बच्चे लम्बे समय तक दुर्व्यवहार का शिकार होते रहते हैं। बच्चे अधिकतर दुर्व्यवहार के बारे में बताने में हिचकिचाते हैं। उनकी हिचकिचाहट के कई कारण सामने आए हैं, जैसे डर, अपराध–बोध, अभिभावकों का अविश्वास, दुर्व्यवहारकर्ता द्वारा धमकी देना आदि।</td></tr>
</table>

9 बच्चों का पीछा करना या उन पर छींटाकसी करना यौन हिंसा नहीं है।	बच्चों का पीछा करना या उनपर छींटाकशी करना भी यौन हिंसा के अन्तर्गत आता है। पोक्सो कानून में इसे एक गंभीर अपराध माना गया है।
10 यौन हिंसा हमारे गांव, समुदाय या स्कूल में नहीं होती।	यह एक भ्रान्ति है। लैंगिक अपराध की घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं।

परिशिष्ट 4.2

POCSO *कानून, 2012 में दिए गए अपराध के प्रकार तथा दंड प्रावधान*

अपराध एवं धारा	*अपराध की परिभाषा*	*दण्ड के प्रावधान*
प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा–3)	किसी प्रकार से बालक के शरीर में अपना लिंग या कोई ऐसी वस्तु (गुप्तागों या मुंह) प्रवेश करता है और बालक के उपरोक्त अंगों पर मुंह लगाना या जो लिंग नहीं है का प्रवेश जबरदस्ती बालक, बालक से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ से ऐसा करवाना या करना।	7 वर्ष से आजीवन कारावास + जुर्माना (धारा –4)
गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा–5)	प्रवेशन लैंगिक हमला अगर ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो : ● पुलिस अधिकारी है ● सुरक्षा बल का सदस्य है ● लोक सेवक है ● जिस पर बालक की अभिरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण का प्रभार है (बालगृह, संप्रेक्षण गृह, जेल इत्यादि) ● कोई चिकित्साकर्मी है (राजकीय एवं गैर–राजकीय) ● शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंधक या कर्मचारी ● बालक के साथ विश्वास का रिश्ता रखता है ● बालक शारीरिक / मानसिक रूप से बीमार है।	कम से कम 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक + जुर्माना (धारा–6)
लैंगिक हमला (धारा–7)	सभी प्रकार के शारीरिक स्पर्श की गतिविधियां जिसमें प्रवेशन के बिना शारीरिक संपर्क होता है।	3–5 साल कारावास + जुर्माना (धारा–8)
गुरुत्तर लैंगिक हमला (धारा–9)	अगर लैंगिक हमला धारा–9 में वर्णित व्यक्तियों द्वारा किया हो।	5–7 वर्ष कारावास + जुर्माना (धारा–10)
लैंगिक उत्पीड़न (धारा–11)	किसी व्यक्ति का लैंगिक इरादे सेः ● बालक को अपने शरीर का अंग या कोई वस्तु दिखाना ● बालक को उसके शरीर का प्रदर्शन करने के लिए कहना ● बालक को अश्लील सामग्री दिखाना ● बालक का पीछा करना ● अश्लील साहित्य के प्रयोजन से किसी भी तरह मीडिया में बालक को अश्लील वस्तु दिखाना	3 साल तक कारावास + जुर्माना (धारा–12)
अश्लील साहित्य के प्रायोजनों से बालक का उपयोग (धारा–13)	अश्लील साहित्य के प्रयोजनों से बालक का उपयोग टेलीविजन चैनल / विज्ञापन / इन्टरनेट / इलेक्ट्रॉनिक / मुद्रित / प्रसारण के लिए निम्न कृत्य करना : ● बालक की जननेन्द्रियों का प्रदर्शन ● वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों के लिए उपयोग ● बालक का अशोभनीय / अश्लील प्रदर्शन	उपयोग करने पर 5 वर्ष और दोष सिद्धि पर 7 वर्ष का कारावास + जुर्माना (दोनों स्थिति में)

	अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक पर प्रत्यक्ष रूप से प्रवेशन लैंगिक हमला	न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास + जुर्माना (धारा–14(2)
	अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक पर प्रत्यक्ष रूप से गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला	कठोर आजीवन कारावास + जुर्माना (धारा–14(3)
	अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक पर प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक हमला	6 से 8 वर्ष कारावास + जुर्माना (धारा –14(4)
	अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक पर प्रत्यक्ष रूप से गुरुत्तर लैंगिक हमला	8 से 10 वर्ष कारावास + जुर्माना (धारा–14(5)
वाणिज्यिक प्रायोजनों के लिए बालक से सम्बंधित अश्लील सामग्री का भण्डारण (धारा–15)	वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करने वाली किसी भी रूप में अश्लील सामग्री का भण्डारण करना	3 वर्ष कठोर कारावास + जुर्माना (धारा–15)
षड़यंत्र / साजिश करना (दुष्प्रेरण) (धारा–16)	जान बूझकर किसी को उकसाना, प्रचार करना, कोई भी कार्य या गैर कानूनी गलती, अन्य व्यक्तियों के साथ अपराध के कार्यकलाप या षड़यंत्र में शामिल होना या लैगिंग प्रयोजन के लिए बच्चों का दुर्व्यापार	किए गए अपराध के लिए उपबंधित दंड के समान दंड (धारा–17)

परिशिष्ट 4.3

POCSO *कानून की मुख्य विशेषताएं / प्रावधान*

1. इस कानून के अंतर्गत बच्चों के लैंगिक दुर्व्यवहार से जुड़े समस्त मुद्दे, जैसे कि बच्चे / बच्चियों के साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करना, अश्लील शब्दों का उपयोग करना, गाली देना, पीछा करना, अश्लील हरकतें करना अथवा करवाना, अश्लील चित्र दिखाना, अश्लील सामग्री का संधारण एवं उसमें बच्चों का उपयोग करना, लैंगिक कार्यों के लिए बच्चों का उपयोग आदि के लिए कठोर सजा के प्रावधान को सुनिश्चित किया गया है।
2. यह कानून लैंगिक समानता पर आधारित है जिसमें बालक अथवा बालिका दोनों ही पीड़ित या दोषी हो सकते हैं। लैंगिक अधार पर इनमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है।
3. जिस पर बच्चा विश्वास अथवा भरोसा करता है ऐसे व्यक्ति (जैसे अभिभावक, रिश्तेदार, पुलिस, सुरक्षाबल, लोक सेवक, अध्यापक आदि) के दोषी पाए जाने पर इसे गभींर अपराध की श्रेणी में रखते हुए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।
4. इस कानून में अपराध होने की सूचना को छुपाने एवं दर्ज न कराने को भी अपराध माना गया है तथा उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है।
5. कानून के तहत पीड़ित बच्चे के बयान की रिकॉर्डिंग निम्नलिखित स्थानों में हो सकती है :
   - बच्चे के घर पर
   - बच्चे की इच्छा के स्थान पर
   - जहां बच्चा सहज या सुरक्षित महसूस करे ।
6. बच्चे के बयान उसके माता पिता, संरक्षक / ऐसे व्यक्ति जिस पर बच्चे को विश्वास हो, उसकी उपस्थिति में ही लिए जाएंगे।
7. जहां तक हो सके महिला पुलिस अधिकारी (जो सब इंस्पेक्टर के स्तर की हों) की उपस्थिति में ही बयान दर्ज किये जायेंगे।
8. किसी भी परिस्थिति में अभियुक्त की उपस्थिति में पीड़ित का बयान नहीं लिया जाएगा एवं अभियुक्त को बच्चे के समक्ष भी नहीं लाया जायेगा।

9. किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से रात में पुलिस थाने में नहीं रखा जायेगा।

10. पुलिस अधिकारी बयान लेते समय वर्दी में नहीं रहेंगे।

11. इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए फर्जी केस दर्ज कराने, गलत भावना से जानकारी उपलब्ध करवाने जैसे कार्यों को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए 6 माह की सजा का प्रावधान है। यदि बच्चों के खिलाफ कोई फर्जी रिपोर्ट की जाती है तो उसके लिए एक वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है।

12. पीड़ित बच्चे की चिकित्सकीय जांच, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न कराये जाने की परिस्थिति में भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–164(क) के अनुसार संचालित की जाएगी।

13. इस कानून के अंतर्गत धारा–3,5,7 व 9 के अधीन अभियोजित व्यक्ति को अपराध करने, करवाने या दुष्प्रेरित करने के लिए विशेष अदालत द्वारा तब तक अपराधी माना जायेगा जब तक वह अपने को निर्दोष साबित ना कर दे।

14. विशेष नयायालय द्वारा विचारण के दौरान बच्चे को लघु अंतराल की अनुमति दिए जाने का भी प्रावधान है।

15. विशेष न्यायालय, बच्चे के परिवार के सदस्य, संरक्षक, मित्र या रिश्तेदार जिस पर बच्चे को विश्वास है उसकी उपस्थिति में, बालमित्र वातावरण में सुनवाई करेगा।

16. बच्चे को साक्ष्य देने के लिए बार–बार अदालत में नहीं बुलाया जायेगा।

17. विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा की विचारण के दौरान बच्चे की पहचान किसी भी रूप में प्रकट न हो एवं कोई भी आक्रामक या चरित्र पर हमला करने वाले प्रश्न नहीं पूछे जायें।

सत्र 5

लैंगिक अपराध की परिस्थितियां, अपराधी, अपराध के संकेतक एवं प्रभाव

1 घंटा

- *उद्देश्य*
  - लैंगिक अपराध की परिस्थितियां एवं किन–किन व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है उसके बारे में समझ विकसित करना।
  - बच्चों के साथ हुए लैंगिक अपराध के संकेतकों एवं प्रभावों की समझ बनाना।
- *विधा :* प्रस्तुतीकरण एवं खुली चर्चा
- *सामग्री :*प्रोजेक्टर, मार्कर, फ्लिप चार्ट
- *परिचय*

इस सत्र में बच्चों के साथ हो रहे लैंगिक अपराध की परिस्थितियां एवं दुर्व्यवहार किन–किन व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा होगी। जैसा कि हम जानते हैं बच्चे उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में आमतौर पर किसी को तुरंत नहीं बता पाते या बताने में हिचकिचाते हैं। इस हिचकिचाहट के कई कारण हो सकते हैं, अर्थात इन कारणों के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। कई शोधों में ये देखा गया है कि यौन दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों के व्यवहार में कई प्रकार के बदलाव आते हैं और ये बदलाव लैंगिक अपराध को पहचानने के मददगार संकेतक होते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि बच्चे के साथ या आसपास रहने वाले इन संकेतकों से परिचित हों और लैंगिक अपराध के प्रभावों को भी पहचान सकें, ताकि वह समय रहते बच्चे की मदद कर सकें और उसे यौन दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान कर सकें।

गतिविधि–1 प्रस्तुतीकरण एवं खुली चर्चा

चरण–1

परिशिष्ट 5.1 में दी गई जानकारी के आधार पर प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रतिभागियों को निम्नलिखित पर जानकारी प्रदान करें–

- लैंगिक अपराध की परिस्थितियां
- लैंगिक अपराध कौन–कौन कर सकता है?
- लैंगिक अपराध के बारे में न बताने या हिचकिचाहट के कारण
- लैंगिक अपराध के संकेतक एवं प्रभाव

चरण–2

प्रतिभागियों को प्रत्येक बिन्दु पर प्रस्तुतीकरण के दौरान चर्चा हेतु प्रेरित करें व चर्चा में सभी प्रतिभागियों की भागीदारी सुनिश्चित करें।

चरण–3

प्रतिभागियों को परिशिष्ट 5.1 के हैंड–आउट उपलब्ध कराएं।

➢ *संभावित अपेक्षाएं*

- लैंगिक अपराध की परिस्थितियां एवं किन–किन व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है उसके बारे में समझ विकसित हो सकेगी।
- बच्चों के साथ हुए लैंगिक अपराध के संकेतकों एवं प्रभावों की समझ बन सकेगी।

परिशिष्ट 5.1

लैंगिक अपराध की परिस्थितियां, अपराधी, संकेतक व प्रभाव

लैंगिक अपराध किन–किन परिस्थितियों में हो सकता है?

वैसे तो लैंगिक अपराध बच्चों के साथ कभी भी और किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, लेकिन ये देखा गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में लैंगिक अपराध की संभावना अधिक होती है। ऐसी ही कुछ परिस्थितियां यहां दी गई हैं :

- ऐसे बच्चे जो अपने माता–पिता के साथ फुटपाथ पर रहते हैं।
- ऐसे बच्चे जिनके माता–पिता दोनों ही कामकाजी हैं।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों में प्रायः ये जोखिम अधिक बढ़ जाता है।
- विशेष योग्यजन बच्चों में लैंगिक अपराध का जोखिम कई गुना अधिक बढ़ जाता है।
- तनावग्रस्त परिवारों (संगठित एवं असंगठित परिवार) के बच्चों में लैंगिक अपराध की संभावना बढ़ जाती है।
- ऐसे बच्चे जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं।
- ऐसे बच्चे जो परिवार में उपेक्षित होते हैं।
- जिन बच्चों के माता पिता नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं।
- जिन परिवारों में प्रायः घरेलू हिंसा होती रहती है।
- ऐसे बच्चे जो कहीं भी अकेले आते जाते हैं।
- ऐसे बच्चे जो बाल मजदूरी करते हैं।
- ऐसे बच्चे जो जल्दी डर जाते हैं या जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है।
- संस्थाओं में रह रहे बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार की संभावना अधिक होती है।

ऊपर दी गई परिस्थितियों के अलावा भी अन्य परिस्थितियां हो सकती है।

लैंगिक अपराध कौन–कौन कर सकता है ?

बच्चे के साथ लैंगिक अपराध कोई भी कर सकता हैं, फिर भी निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रमुखतया यौन दुर्व्यवहार किया जा सकता हैं:

- परिवार वाले (पिता–माता, चाचा–चाची, दादा–दादी, मामा–मामी आदि), मित्र या कोई भी विश्वसनीय व्यक्ति।

  यह बात आश्चर्यचकित कर सकती है, लेकिन शोधों के अनुसार अधिकतर लैंगिक अपराध करने वाले व्यक्ति परिवार के सदस्य या पहचान वाले ही होते हैं। भारत सरकार द्वारा 2007 में हुए अध्ययन के अनुसार 50% यौन दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति बच्चे को व्यक्तिगत रूप से जानते थे एवं बच्चे उन पर विश्वास करते थे।
- जिनकी अभिरक्षा में बच्चे रहते हैं, जैसे–अध्यापक, बाल गृह व छात्रावास कर्मचारी, गैर सरकारी संस्थाएं, पुलिस, धर्मगुरु आदि।
- रिश्तेदार ।
- पड़ोस में रहने वाले युवा, अकेले युवक आदि।
- किरायेदार या मकान मालिक।
- बड़े बच्चे द्वारा छोटे बच्चे के साथ।
- अनजान व्यक्ति।
- महिलाओं द्वारा भी बालकों के साथ लैंगिक अपराध किया जा सकता है।

लैंगिक अपराध के बारे में नहीं बताने के कारण

जैसा कि हम जानते हैं बच्चे उनके साथ हो रहे लैंगिक अपराध के बारे में आमतौर पर किसी को नहीं बता पाते या बताने में हिचकिचाते हैं। इस हिचकिचाहट के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारण निम्नलिखित हैं :

- डर
- शर्म महसूस करना
- असामान्य महसूस करना
- शब्दों का अभाव
- दुर्व्यवहार करने वाला बच्चे का परिचित है आरै बच्चा उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहता
- बच्चे को ये बात गोपनीय रखने के लिए कहा गया हो।
- बच्चे द्वारा यह मानना कि बड़े उसकी बताई बात पर विश्वास नहीं करेगें।
- बच्चे को डराया, धमकाया गया हो या रिश्वत दी गई हो।
- बच्चे द्वारा ये मानना कि बड़े पहले से सब जानते हैं।

लैंगिक अपराध के संकेतक

बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध की पहचान करने के लिए अनेक अध्ययनों द्वारा कुछ संकेतकों की पहचान की गई है। इन संकेतकों को दो हिस्सों में बाटा गया हैं :

1. *शारीरिक संकेतक–* लैंगिक अपराध के कई शारीरिक संकेत होते हैं। कुछ शारीरिक संकेतक इस प्रकार है :
    - अपना ध्यान न देना, जैसे– गंदे या फटे कपड़े पहनना, खाना न खाना, ज्यादा कपड़े पहनना, जल्दी जल्दी बीमार पड़ना आदि
    - असामान्य शारीरिक चोट लगना
    - उम्र से ज्यादा यौन के बारे में जानकारी होना या बात करना
    - यौन संबंधी रोग होना, जैसे, HIV/AIDS आदि
    - गर्भवती होना
    - शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करना
    - गुप्त अंगों में दर्द या जलन की शिकायत
    - चलने या बैठने में परेशानी होना
2. *व्यवहारिक संकेतक–* नीचे दिए गए संकेतक लैंगिक अपराध से पीड़ित बच्चे के व्यवहार से सम्बंधित हैं:
    - बड़ो के सामने शर्माना या घबराना
    - घर जाने में डरना
    - गुस्सा या क्रोध करना, परेशान करना, दूसरे बच्चों के साथ दादागिरी करना या गाली–गलोच करना
    - खेल कूद में हिस्सा न लेना
    - आत्मविश्वास कम होना
    - अत्यधिक थकान महसूस करना
    - पढ़ाई का स्तर गिरना या पढ़ाई में ध्यान कम होना
    - पढ़ाई में रुचि कम होना
    - लगातार स्कूल न जाना या स्कूल जाने से कतराना या मना करना

लैंगिक अपराध के प्रभाव

लैंगिक अपराध बच्चे को केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक पीड़ा भी पहुंचाता है, जिसके परिणाम लम्बे समय तक रहते हैं। लैंगिक अपराध के कुछ प्रभाव नीचे दिए गए हैं:

- शक्तिहीन महसूस करना
- अत्यधिक गुस्सा करना

- चिन्ता करना
- डरा हुआ रहना
- असामान्य भय महसूस करना
- किसी भी काम में ध्यान लगाने में परेशानी होना
- बुरे या डरावने सपने देखना
- लैंगिक अपराध करने वाले के सामने आने का डर
- आत्मविश्वास कम होना
- अपराध–बोध की भावना होना
- खुशी महसूस न करना
- शर्माना या अलग–अलग रहना
- रिश्ते बनाने या निभाने में परेशानी महसूस करना
- झूठ बोलना, चोरी करना या घर से भाग जाना
- स्कूल न जाना
- पढ़ाई के स्तर में गिरावट आना

लैंगिक अपराध से पीड़ित बच्चे को काउंसलिंग मिलना अत्यतं आवश्यक है, जिसके अभाव में बच्चों पर दीर्घगामी दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे :

- PTSD (Post–Traumatic Stress Disorder) या चिंता का विकार
- अवसाद (डिप्रेशन) या मरने के विचार आना
- यौन संबंधी चिंता या विकार होना
- असुरक्षित यौन में भाग लेना और असुरक्षित यौन साथी बनाना
- सुरक्षित सीमाएं तय करने में परेशानी
- किसी को भी 'ना' नहीं बोलने में परेशानी होना
- रिश्तों में परेशानी आना
- स्वयं के शरीर के प्रति हीन भावना का होना
- आत्मसम्मान कम होना।

सत्र 6

लैंगिक अपराध की रोकथाम, सुरक्षा तंत्र एवं समुदाय की भूमिका

1 घंटा

- *उद्देश्य*
  - लैंगिक अपराध की रोकथाम के उपायों की पहचान करना।
  - बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्यरत मुख्य–तंत्र के सन्दर्भ में जानकारी प्रदान करना।
  - स्वयं और समुदाय की भूमिका सुनिश्चित करना।
- *विधा :* फिल्म प्रदर्शन, प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा
- *सामग्री :*प्रोजेक्टर, मार्कर, फ्लिप चार्ट
- *परिचय*

इस सत्र में समुदाय के नेतृत्व से यह अपेक्षा है कि वह बच्चों के प्रति होने वाले लैंगिक अपराधों की रोकथाम तथा अपराध हो जाने के बाद संबंधित कार्रवाई करने तथा पीड़ित को सहयोग व समर्थन देने में अपनी भूमिका को पहचानें।

गतिविधि–1 फिल्म प्रदर्शन एवं चर्चा

चरण–1

प्रतिभागियों को फिल्म *''कोमल''* दिखाएं एवं फिल्म में आए मुद्दों पर 10 मिनट चर्चा करें तथा बताए गए मुद्दों को चार्ट शीट पर लिखते जाएं।

चरण–2

प्रतिभागियों को चर्चा हेतु प्रेरित करें व चर्चा में सभी प्रतिभागियों की भागीदारी सुनिश्चित करें।

गतिविधि–2 प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा

चरण–1

बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध की रोकथाम कैसे कर सकते हैं, सुरक्षा एवं सहायता तंत्र तथा इसमें हमारी या समाज की क्या भूमिका हो सकती है, आदि पर परिशिष्ट 6.1, 6.2, 6.3 की सहायता से प्रस्तुतीकरण के माध्यम से चर्चा करें।

चरण–2

परिशिष्ठ 6.3 में दी गई महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बर की सूची को हैण्डहाउट के रूप में वितरित करें।

- *संभावित अपेक्षाएं*
  - लैंगिक अपराध की रोकथाम के उपायों की पहचान हो सकेगी।
  - बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्यरत मुख्य–तंत्र के सन्दर्भ में जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
  - स्वयं और समुदाय की भूमिका सुनिश्चित कर सकेंगे।

परिशिष्ट 6.1

बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध की रोकथाम के उपाय

आये दिन हम बच्चों के साथ लैंगिक अपराधों की घिनोनी घटनाओं के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को इन घटनाओं से सुरक्षित व सावधान रहने के बारे में शिक्षित करते हैं? बच्चे देश की धरोहर है, परिवार में उनकी सुरक्षित वृद्धि सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है न सिर्फ परिवार बल्कि समुदाय का भी दायित्व है कि वह बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करें। निम्नलिखित सावधानियाँ बरत कर हम बच्चों को बचपन से ही ऐसी घटनाओं के प्रति सावधान व शिक्षित करके उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सकते हैं।यहां लैंगिक अपराधोंकी रोकथाम के कुछ उपाय दिए गए हैं :

- अगर हंसमुख बच्चा अचानक उदास या चुप–चुप रहने लगे तो धैर्यपूर्वक बात करें और कारण जानने की कोशिश करें। बच्चा अगर किसी दुर्व्यवहार का जिक्र करे तो बच्चे पर विश्वास करें एवं उसकी मदद के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
- यदि बच्चे का किसी व्यक्ति के प्रति ज्यादा लगाव हो जाए तो सतर्क रहें।
- बच्चा जब अपने किसी परिजन एवं रिश्तेदार के पास जाने से कतराए या डरने लगे तो बच्चे से बात करें तथा डर का कारण पता करें एवं उसकी मदद के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
- कोई अनजान व्यक्ति, पड़ोसी या रिश्तेदार आवश्यकता से अधिक बच्चे के साथ मेल–जोल बढ़ाने लगे, उसे अकेले अपने साथ रखने लगे या आवश्यकता से अधिक छूने व प्यार करने लगे तो ऐसे व्यक्ति से सतर्क रहें एवं अपने बच्चे को ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से रोकें।
- बच्चे, उनके दोस्त व उनके खेलों के बारे में जानकारी रखें। ऐसा भी पाया गया है कि बच्चे आपस में ही लैंगिक क्रियाओं में सक्रिय हो जाते हैं। अगर आप को ऐसा आभास होता है तो अपने बच्चों से बातचीत करें तथा उन्हें सही और गलत का अंतर समझाएं।
- जब बच्चे बड़े होने लगें तो उन्हें उम्र के अनुसार निजी अंगों के सही नाम की जानकारी दें। साथ ही उन्हें सही स्पर्श और गलत स्पर्श के बारे में बताएं।
- जब बच्चे किशोरावस्था में आएं तब उन्हें यौन व्यवहार के बारे में खुलकर बात करने का अवसर दें।
- बच्चों को यह सिखायें कि यदि किसी भी व्यक्ति के स्पर्श से वे असहज महसूस करें तो उसका विरोध करें एवं तुरंत अपने परिजनों को बतायें।
- अगर बच्चे किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करें तो चुप ना रहें और उनको विश्वास दिलाएं कि आप उनकी सुरक्षा कर सकते हैं।
- बच्चों को किसी ऐसे वयस्क से मिलने पर मजबूर नहीं करें जिनसे मिलने में वे सहज महसूस नहीं करते हों।
- कामकाजी पति–पत्नी विशेष तौर पर अपने बच्चों पर निगरानी रखें एवं उनको अकेले किसी के पास छोड़ते समय सावधानी बरतें।
- बच्चों को घर में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या 100 नंबर एवं अन्य आपातकालीन एवं हेल्पलाइन जो आपके शहर मे सक्रिय हैं, उनके बारे मे जानकारी प्रदान करें।
- सबसे जरुरी बात यह है कि बच्चों से बातचीत करें और उनकी बात को एक दोस्त की तरह समझें,जिससे वे सहजता से अपनी बात रख सकेंगे। इससे विश्वास का माहौल बनेगा।

परिशिष्ट 6.2

लैंगिक अपराध से पीड़ित बच्चों के लिए सुरक्षा एवं सहायता तंत्र

यदि किसी बच्चे के साथ लैंगिक अपराध होता है तो आप घटना की जानकारी चाइल्ड लाइन 1098,स्थानीय पुलिस, बाल कल्याण समिति (सी.डब्लू.सी.) को दे सकते हैं।

पुलिस

बच्चों के मामलों के लिए प्रत्येक थाने पर एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी मदद करता है।

एस.एच.ओ. या सी.आई.

एस.एच.ओ. या सी.आई. द्वारा पीड़ित के लिए आपातकालीन चिकित्सा देखभाल एवं पीड़ित प्रतिकर योजना के लिए प्रमाण पत्र तत्काल जारी किया जायेगा।

बाल कल्याण समिति

प्रत्येक जिले में बालकों के संरक्षण एवं देखभाल के लिए न्यायपीठ होती है जो पीड़ित बच्चों के लिए कानूनी कार्रवाई, मार्गदर्शन, परामर्श, सुरक्षा एवं संरक्षण, मेडिकल सहायता आदि उपलब्ध करवाती है साथ ही पूरे मामले में बच्चे एवं उनके परिवार को संबल देने के लिए सहायक व्यक्ति उपलब्ध करवाती है, जो पूरे प्रकरण में पीड़ित बच्चे एवं परिवार को मदद करता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

प्राधिकरण द्वारामुफ्त कानूनी सहायता के साथ–साथ पीड़ित को क्षतिपूर्ति मुआवजा भी उपलब्ध करवाया जाता है।

जिला बाल संरक्षण इकाई

प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित होती है। प्रकरण में किसी तरह की अवमानना, सुनवाई न होना, अनुवादक, विशेष शिक्षक उपलब्ध करवाना व उपरोक्त के लिए कोष उपलब्ध करवाना प्रमुख कार्य हैं।

चाइल्ड लाईन 1098

यह एक राष्ट्रीय टोल फ्री टेलीफोन हेल्पलाइन है जिस पर बच्चा स्वयं या उसका परिजन जो पुलिस या किसी और के सामने जाने से असहज अनुभव करते हैं, वो इस नंबर पर तत्काल फोन करके सहायता ले सकता है व जानकारी दे सकता हैं।

परिशिष्ट 6.3

समुदाय की भूमिका

अपने आसपास बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध की रोकथाम के लिए और दुर्व्यवहार घटित हो जाने पर हम व्यक्तिगत रूप से तथा सामुदायिक रूप से क्या–क्या कर सकते है, यह जानना बहुत जरूरी है तभी हम अपनी भूमिका को कारगर तरीके से निभा सकते हैं। यहां हमारी भूमिका से संबंधित कुछ बातें प्रस्तुत की गई हैं :

- यदि आसपास किसी भी बच्चे के साथ लैंगिक अपराध हुआ है या होने की आशंका है तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस, बाल संरक्षण समिति, चाइल्ड लाइन 1098 को देना।
- बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध के संकेतकों की सही समझ बनाकर, उनके बारे में जागरूक रहकर रोकथाम में सक्रिय भागीदारी करना।
- अपने परिजनों, साथियों, मित्रों आदि के साथ चर्चा में बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध को महत्पूर्ण मुद्दे के रूप में उठाना एवं रोकथाम के उपायों की जानकारी साझा करना।
- सामुदायिक संस्थाओं एवं मंचों के माध्यम से बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध के संकेतकों एवं रोकथाम के उपायों पर चर्चा करना।
- समुदाय की कुप्रथाओं का विरोध करना जिसमें लैंगिक अपराध से पीड़ित को अपराधी माना जाता है। इसके विपरीत पीड़ित एवं उसके परिवार को भावनात्मक समर्थन देकर मानवीय पहलुओं को उजागर करना।

Child Resource Centre,
Harish Chandra Mathur Rajasthan State Institute of Public Administration,
Government of Rajasthan, Jawahar Lal Nehru Marg,
Jaipur (Raj.) 302017
Website : www.hcmripa.gov.in
Mail : hcmripa@rajasthan.gov.in
Fax : 0141-2705420, 2702932
Phone : 0141-2706556, 2706268